तारीख हुक्म

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजेश बनाम बाबूलाल

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट

वाद संख्या– 02/108/2022

30.06.2022 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि खातेदारी आराजी खाता संख्या 669 व खसरा संख्या 379/0.30 वाके ग्राम राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर के विधिवत रूप से तकसीम होने तक आराजी के किसी विशिष्ट भाग को दीगर शख्सों को किसी भी प्रकार से मुंतकिली का दस्तावेज पंजीबद्ध न करें ना करावें ना ही उक्त आराजी को किराये या लीज पर देकर दीगर शख्सों का कब्जा करायें ना ही प्रार्थी को उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करते हुए कोई निर्माण कार्य करें, ना ही प्रार्थी को उक्त आराजी में उनके हिस्सेानुसार उपयोग–उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करें एवं उक्त आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में, शपथ पत्र पेश किया।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्न तीन महत्वपूर्ण विन्दुओ पर जॉचना आवश्यक है–

(अ) मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वत्व/कब्जा होना आवश्यक है।

(ब) प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष में झुकाव होना आवश्यक है।

(स) प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना साबित होनी चाहिये।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। अपने हिस्सेानुसार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुऐ अप्रार्थीगण को उक्त आराजी खाता संख्या 669 व खसरा संख्या 379/0.30 वाके ग्राम राजगढ तहसील राजगढ को आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.09.2022 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा है कि आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.09.2022 तक अप्रार्थीगण, प्रार्थी की आराजी के विशिष्ट भाग का बेचान न करें। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 07.09.2022 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलमद हुक्म में
	19/7/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 05/8/24 को पेश हो। रीडर 5/8/24 पीठासीन अधिकारी ~~अन्य कार्यों~~ में । अवकाश व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 22/8/24 को पेश हो। रीडर 22/08/24 पत्रावली पेश। वास्ते बहस हेतु दि. 6/11/24 को पेश हो। SDO 06.11.24 पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक 08.01.25 को पेश हो। 08.01.2025 पत्रावली पेश। वकील वादी व पैरो. प्रति. उप.। बहस सुनी गई। बाद गौर बहस व प्रार्थना पत्र मूल वाद के निर्णय तक ताफैसला दावा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पसन्द किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के साथ संलग्न है। SDO	